न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 370/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2009/00044

वादीगण

1 गवरी बेवा जोधाराम,

2 सीता पुत्री जोधाराम

जातियान–कलबी, निवासीगण–

बड़ी विरोल, तहसील–सांचौर

जिला–जालोर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

1 सेजी पुत्री जोधाराम फौत के वारिसान्

1/1 रूपाभाई पुत्र हंसाभाई पटेल

1/2 पनाभाई पुत्र हंसाभाई

1/3 प्रभुभाई पुत्र हंसाभाई

1/4 प्रवीणभाई पुत्र हंसाभाई

जातियान–पटेल, निवासीगण–

लवारा, तहसील–धानेरा, गुजरात

1/5 मफीबेन पुत्री हंसाभाई पटेल पत्नी

हाजाजी, जाति–चौधरी, निवासी–लवारा हाल

भूतवासण, तहसील–सांचौर

1/6 गोमतीबेन पुत्र हंसाभाई पटेल

पत्नी उमाभाई, निवासी–लवारा

तहसील–धानेरा

1/7 रकमीबेन पुत्र हंसाभाई पटेल

पत्नी रूपाभाई, निवासी–लवारा हाल

भाटीप, तहसील–रानीवाड़ा

2 सती पुत्री जोधाराम फौत के वारिसान्

2/1 सांवलाराम पुत्र छोगाराम

2/2 मफाराम पुत्र छोगाराम

2/3 चेनाराम पुत्र छोगाराम

2/4 नरेश पुत्र छोगाराम

2/5 भावना पुत्री छोगाराम

जातियान–कलबी, निवासीगण–

लवारा, तहसील–धानेरा, गुजरात

3 गेनाराम पुत्र जोधाराम फौत के वारिसान्

3/1 शंकर पुत्र गेनाराम

3/2 रमेश पुत्र गेनाराम

3/3 पंखी पुत्री गेनाराम

3/4 शान्ता पुत्री गेनाराम

3/5 केसी देवी पत्नी गेनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

4 गणेशाराम पुत्र जोधाराम

5 जोराराम पुत्र जोधाराम

6 जेठाराम पुत्र जोधाराम

जातियान–कलबी, निवासीगण–बड़ी

विरोल, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

7 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् इस्तकरारहक, खातेदारीहक एवं जारी करने स्थाई

निषेधाज्ञा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 19.08.2009

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1(1 लगायत 7), 2 (2 लगायत 5), 3 (1 लगायत 5) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जोधाराम चौधरी उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से राज पैरोकार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.09.2025

वादीयागण ने एक वाद बाबत् इस्तकरारहक खातेदारी हक एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण एवं प्रतिवादीगण सभी जोधा पुत्र भगा के उतराधिकारी गण है तथा एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। मौजा बड़ी विरोल के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर जिसका पुराना खसरा नंबर 406 था। उक्त खेत मूल रूप में वादिया एवं प्रतिवादीगण के दादा बग्गा पुत्र देवा के नाम था वह ससूर थे उनके फौत होने के पश्चात वादिया खेत के पिता/पति श्री जोधाराम के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त खेत वादीया एवं प्रतिवादीयागण की पैतृक संपति का है जिसमे 2/8 हिस्सा वादीया का व 6/8 हिस्सा प्रतिवादीगण का है क्योंकि उपरोक्त खेत वादीयागण के एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्[illegible] उनके पिता/पति जोधा पुत्र भगा की पैतृक संपति होने से [illegible] समान हक मिल चुका था जिसका राजस्व रिकॉर्ड [illegible] वादीयागण अधिकारिणी है। ऐसी सूरत मे वाद पेश है। प्रतिवादीगण के पिता फौत हो[illegible]ने के बाद प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर केवल प्रतिवादी गेना के नाम ही इन्द्राज करवा लिया जबकि वादीयागण का भी उपरोक्त आराजी में 2/8 हिस्सा पैतृक संपति का बनता है। वादीया द्वारा उनका हिस्सा आज दिन तक किसी व्यक्ति को या प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से हस्तांतरित किया हुआ नहीं है जिसका राजस्व रेकर्ड में वादीयागण अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

खातेदारी घोषणा करवाने की विधिसम्मत अधिकारी है। उक्त आराजी में वादीयागण का 2/8 हिस्सा दर्ज नहीं होने की जानकारी दिनांक 10.08.2009 को होने पर विनायवाद पेश हुआ अन्त में वादीयागण ने अपने वाद में इस्तदुआ चाही की खेत खसरा सख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर सरहद मौजा बड़ी विरोल जो वादीयागण की पैतृक संपति होने से प्रतिवादीगण बिना किसी आधार के पूरा का पूरा प्रतिवादीगण ने अपने नाम करवाया जबकि वादीया का हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 6/8 हिस्सा होने से वादीयागण खातेदारी अधिकार पाने की हकदार है तथा उपरोक्त खेतों में 2/8 हिस्सा वादीयागण के तथा 6/8 हिस्सा होने से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के हकदार है।

उपरोक्त वाद बाद कार्यालय टिप्पणी कर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा वंशावली पेश की है वह सही है तथा मौजा बड़ी विरोल के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2. 95 हैक्टेयर जिसका पुराना खसरा संख्या 406 सही था। यह भूमि जोधा के उतराधिकारी सेजी, सती, गवरी एवं माता तथा भाइयों सभी ने प्रतिवादीगण के हक में हकतर्क कर दिया था। उक्त भूमि पर मात्र अकेले गेना का ही कब्जा काश्त एवं हक है क्योंकि जोधा के उतराधिकारीयों ने उक्त भूमि का अब हकतर्क गेना के नाम से हकतर्क कर दिया था। गेना के नाम जो खातेदारी की जमीन इन्द्राज हुआ वह विधिसम्म्त है तथा मौके पर गेना का 24–25 वर्ष से काश्त कब्जा है, तथा गेना को तर्क कर दिया था। वादीयागण ने वाद पेश किया है वह म्याद बाहर है तथा आराजी पर प्रतिवादीगण का वादीगण के विरूद्व एडवर्ज पजेशन है एडवर्ज पेजेशन के सिद्वान्त के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि का कानूनी मालिक घोषित हो चुका है। अन्त में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा में निवेदन किया कि वादी का वाद खारिज किया जाए।

इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी सेजी कायम मुकाम रूपाराम वगै़रह ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जोधा पुत्र भगा के प्रथम पत्नी अमरू थी जिसके जायन्दा पुत्र गेनाराम एवं पुत्रियां तेजी व सती है। गवरी नाम की पत्नी जोधा के नहीं थी। हिन्दू विवाह परम्परा के अनुसार द्वितीय विवाह नहीं हो सकता है उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। गवरी ने जमीन हड़प करने के उद्देश्य से अपने को जोधा की पत्नी तथा सीता को पुत्री गलत बताया है। वादीया गवरी ने जोध[illegible]ने के संबंध में कोई दस्तावेज सबूत पेश नहीं किया है मात्र मौखिक रूप से पत्नी एवं [illegible] का दावा किया है जो काबिल खारिज है। भगा पुत्र देवा के जीवनकाल में [illegible] जोधा की पत्नी थी और नहीं सीता जोधा की पुत्री थी। भगा पुत्र देवा के नाम खातेदारी [illegible] में किसी प्रकार का कोई हक जन्म से वादीयागण का नहीं लगता है। हिन्दू विधि में पैतृक संपति में हक दावा का जो विधि एवं विधान है उसके मुताबिक दावा करने वाले व्यक्ति का जायज वारिश होना जरूरी है तथागत पत्नी बनती है तो ऐसी पत्नी कानून में नाजायज है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

उसके जन्म लेने वाली सन्तान भी जायज नहीं होती है। वैध रूप से उत्पन्न संतान एवं पत्नी को ही हक दावा करने का अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में वादीयागण द्वारा किसी वैध कानूनी वारिश होने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। बिना दस्तावेजी सबूत के वादीयागण के हक घोषणा का दावा पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण ने जोधा के फौत की मुकर्रर तारीख नहीं बताई है दावे में उल्लेखित भूमि नामान्तरण के जरिए दर्ज किये जा चुके है जिसकी कोई वादीया द्वारा अपील पेश नहीं की है। जोधा के फौत होने के लम्बे अंतराल के बाद बिना सबूत के पुत्री व पत्नी बनकर वादीया द्वारा हस्तगत वाद पेश किया है जो सबूत के अभाव में काबिल खारिज है तथा भूमिधारी तहसीलदार लोक सेवक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 79 के तहत किसी भी लोक सेवक के खिलाफ दावा पेश के पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसी सूरत में वादीयागण का दावा काबिल खारिज है। अन्त में प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में निवेदन किया कि हस्तगत दावा गलत व बेबुनियाद होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। वादीयागण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावों के आधार पर हस्तगत प्रकरण में निम्न तनकीयां कायम की गई।

1. आया खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर सरहद मौजा बड़ी विरोल जो वादीयागण की पैतृक संपति होने से प्रतिवादीगण बिना किसी आधार के पूरी की पूरी प्रतिवादीगण ने अपने नाम करवा ली जबकि वादीयागण का उपरोक्त आराजी में 2/8 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 6/8 हिस्सा पैतृक संपति का होने से वादीया खातेदारी की डिक्री पाने की हकदार है। (जिम्मे वादीयागण)
2. आया उक्त वादग्रस्त आराजी में 2/8 हिस्सा वादीयागण एवं 6/8 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें तथा बाद इन्द्राज वादीयागण की आराजी में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलंदाजी न करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावें। (जिम्मे वादीयागण)
3. आया मौजा बड़ी विरोल में खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि स्व. जोधा के उतराधिकारीगण सेजी, सती, गवरी एवं माता तथा भाइयों ने प्रतिवादीगण के हक में हकतर्क कर दिया। उक्त भूमि पर गेना का ही काश्त कब्जा आया हुआ व मौके पर 24–25 वर्षों से कब्जा काश्त होने से वादीयागण खातेदारी अधिकारी की डिक्री पाने की अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
4. वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी दर्ज हुए करी[illegible] 25 [illegible] होने आए है जिस पर प्रतिवादीगण का ही काश्त कब्जा है। उक्त आराजी में [illegible] का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं होने से वादीयागण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री [illegible] हकदार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
5. आया वाद कारण के अभाव में दावा खारिज योग्य है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
6. आया प्रतिवादीगण का एडवर्ज पजेशन होने से वाद नहीं चल सकता वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

7. आया दावा हाजा सुनने का श्रीमान को क्षेत्राधिकार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)

8. आया उक्त भूमि में माता एवं बहनों ने मुझ प्रतिवादी के पक्ष में हकतर्क कर देने से प्रतिवादी गेना के नाम भूमि दर्ज हुई, हकतर्क किये हुए करीब 25 वर्ष हो चुके है प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का अकेला खातेदार है तथा एडवर्ज पजेशन होने से अन्य किसी का कोई हक या हिस्सा उत्पन्न नहीं होता है। एडवर्ज पजेशन के सिद्वान्त पर प्रतिवादी उक्त भूमि का मालिक घोषित होने से वादीयागण खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का हकदार नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03)

9. आया जोधा के अन्य उतराधिकारी गणों ने प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया हकतर्कनामा को करीब 25 वर्ष हुए है जिसकी अपील या कानूनी कार्यवाही आज दिन तक नहीं की गई है। इस कारण काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 03)

प्रकरण में वादीयागण की ओर से गवाह पीडब्ल्यू–1 गवरी, पीडब्ल्यू–2 लक्ष्मणगिरी, पीडब्ल्यू–3 धोखाराम के बयान कलमबद्ध करवाकर जमाबंदी ईएक्स 1, जमाबंदी ईएक्स 2, जमाबंदी ईएक्स 3, मिलान क्षैत्रफल ईएक्स 4 तथा निर्वाचक नामावली 2024 ईएक्स 5, निर्वाचक नामावली 2003 ईएक्स 6, निर्वाचक नामावली 1993 ईएक्स 7, निर्वाचक नामावली 1988 ईएक्स 8, निर्वाचक नामावली 1980 ईएक्स 9, जमाबंदी ईएक्स 10, राजस्व प्रार्थना–पत्र के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि ईएक्सपी 11 है, राशन कार्ड ईएक्स 12 है पेश कर प्रदर्शित करवाया। इसी प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डीडब्ल्यू 1 प्रभु, डीडब्ल्यू 2 शंकर, डीडब्ल्यू 3 मोतीराम, डीडब्ल्यू 4 मोतीराम गोवाराम, डीडब्ल्यू 5 चेनाराम ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर अपने बयान कलमबद्ध करवाए।

हस्तगत वाद में विद्वान अधिवक्ता वादीयागण ने अपनी वाद के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण सभी जोधा पुत्र भगा के जायज वारिसान् है तथा वादीयागण वारिसान् गवरी जोधा की पत्नी है तथा सीता जो जोधा की पुत्री है तथा मौजा बड़ी विरोल में प्रतिवादीगण की पैतृक संपति के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जो पुराना खसरा नंबर 406 से नवसृजित है तथा जमाबंदी ईएक्स 1, जमाबंदी ईएक्स 2 से बखूबी प्रमाणित है तथा पूर्व में उक्त आराजी जोधा पुत्र भगा के नाम थी तथा जोधा के फौतेदगी के पश्चात उक्त आराजी में 2/8 हिस्सा वादीया का एवं 6/8 हिस्सा प्रतिवादीगण का बनता है क्योंकि वह आराजी [illegible] की पैतृक संपति होने से जोधा की फौतेदगी के पश्चात वादीयागण का उक्त आराजी [illegible] हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्मसिद्व अधिकार बनता है तथा 2/8 हिस्सा [illegible] वादीया गंगा आज भी काश्त कब्जा होने से आराजी की खातेदारी हक प्राप्त करने [illegible]कदार है किन्तु उक्त आराजी जोधा की फौतेदगी के पश्चात प्रतिवादी गेना ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर केवल उसके अकेले के नाम विधि विरूद्व जाकर खातेदारी हक इन्द्राज करवा दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

जो गलत होने से वादीयागण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर 2/8 हिस्सा भूमि की खातेदारी की डिक्री वादीयागण के पक्ष में सादिर फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीयागण स्व. जोधा की उतराधिकारीगण है किन्तु उक्त आराजी जोधा की उतराधिकारी करने प्रतिवादी गेना को हकतर्क कर दी, हकतर्क करीब 24–25 वर्ष से उक्त आराजी पर गेना का एडवर्ज पजेशन होने से वादीया खातेदारी अधिकार पाने की हकदार नहीं है।

इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सेजी के कायम मुकाम रूपाराम वगैरह के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि गवरी नाम की जोधा के कोई पत्नी नहीं थी। जोधा की प्रथम पत्नी अमरू थी जिसका जायन्दा पुत्र गेनाराम एवं पुत्रियां सेजी व सती है। गवरी जोधा की पत्नी नहीं तथा सीता जोधा की पुत्री नहीं है तथा नहीं ऐसा कोई दस्तावेज सबूत पेश किया है जिससे गवरी व सीता को जोधा की वारिसान् मानी जावे। वादीयागण ने उक्त भूमि हड़प करने की नीयत से पत्नी व पुत्री बनकर गलत वाद पेश किया है। ऐसी सूरत में वादीयागण का वाद काबिल निरस्त होने से खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं सबूत का भली भांति अध्ययन अवलोकन किया तथा हस्तगत वाद में तनकीयात वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

1. **<u>तनकी संख्या 01 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीयागण पर होने से इस संबंध में वादीयागण न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर सशपथ बयान किया कि मैं वादीया जोधा की धर्मपत्नी तथा सीता जोधा की पुत्री हूं। मौजा बड़ी विरोल मे खसरा संख्या 336 जो हमारे पैतृक संपति का खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर मौजा विरोल बड़ी में आया हुआ है। उक्त आराजी वादीयागण की पैतृक संपति होने से उक्त आराजी में हम वादीया का 2/8 हिस्सा कब्जा काश्तसुदा आया हुआ है। इस संबंध में वादीयागण जमाबंदी ईएक्स 1 पेश की, उक्त ईएक्स 1 जमाबंदी जोधा वल्द भगा के नाम दर्ज है तथा उक्त ईएक्स 1 में खसरा संख्या 406 दर्ज है। इस प्रकार वादीया की ओर से मिलान क्षैत्रफल की ईएक्स 4 पेश किया, जिसमें खसरा संख्या 406 से नवीन खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 [illegible] ता खसरा संख्या 406 से नवसृजित होना साबित है। इसी प्रकार वादीया ने [illegible] नामावली ईएक्स 5, ईएक्स 6, ईएक्स 7, ईएक्स 8, ईएक्स 9 पेश की उक्त निर्वाचक नामावली में गवरी पत्नी जोधा नाम दर्ज होना साबित है। इसी प्रकार वादीयागण की ओर से जमाबंदी ईएक्स 10 मौजा विरोल बड़ी की पेश की जिसमें गवरी पत्नी जोधा तथा सीता पुत्री जोधा नाम दर्ज है। वह इसी प्रकार वादीयागण की ओर से राशन कार्ड ईएक्स 12 पेश किया, जिसमें गवरी पत्नी जोधाराम तथा सीता का नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

इस प्रकार वादीया द्वारा हस्तगत वाद में पेश उपरोक्त दस्तावेजात् से यह स्पष्ट साबित है कि गवरी जोधा की धर्मपत्नी है तथा सीता जोधा की पुत्री है इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा एक भी दस्तावेज हस्तगत वाद में पेश नहीं किया जिससे यह मान जावें कि वादीयागण जोधा की उतराधिकारीगण ना हो इस प्रकार जब वादियागण जोधा की उतराधिकारीगण न होना साबित है तो वादग्रस्त आराजी में वादीयागण का 2/8 हिस्सा हक व अधिकार कानून प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से वादीयागण वादग्रस्त आराजी मौजा विरोल बड़ी के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि में 2/8 हिस्सा पाने की अधिकारीणी है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादीयागण अपने पक्ष में सिद्व करने में पूर्णतया सफल रहने से तनकी संख्या 01 वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. <u>तनकी संख्या 02 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीयागण पर होने से उक्त तनकी सिद्व करने के संबंध में वादीयागण वह वादीयागण के गवाह पीडब्ल्यू 2 लक्ष्मणगिरी, पीडब्ल्यू 3 धोखाराम ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ पूर्वक बयानों में बताया कि उक्त 2/8 हिस्से की भूमि पर वादीयागण का काश्त कब्जा है। इस प्रकार वादीयागण स्व. जोधा की पुत्री व पत्नी होने से तथा वादग्रस्त आराजी मे 2/8 हिस्सा हक प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से वादीयागण 2/8 हिस्से की खातेदारी में स्थाई निषेधाज्ञा पाने की हकदार कानून होने से तथा अपनी साक्ष्य सबूत से तनकी संख्या 02 अपने पक्ष में सिद्व करने में पूर्णतया सफल रहने से तनकी संख्या 02 वादीयागण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. <u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में यह बताया कि गवरी व सीता दोनों जोधा की उतराधिकारीणी अवश्य है किन्तु वादीयागण व अन्य उक्त आराजी में से संपूर्ण हिस्सा गेना को हकतर्क कर देने से तथा आराजी पर 24–25 वर्षों से गेना का काश्त कब्जा होने से वादीयागण खातेदारी अधिकार पाने की हकदार नहीं है। प्रतिवादीगण के तथ्य अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई हकतर्कनामा या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह मान जावें कि उक्त आराजी वादीया प्रतिवादी के पक्ष में हकतर्क की हो इस इस प्रकार तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 अपने पक्ष में साबित करवाने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

4. <u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से मात्र अपनी मौखिक साक्ष्य के अलावा अन्य ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह माने जावें कि वादग्रस्त आराजी पर मात्र गेना अकेले के 24–25 वर्ष से काश्त कब्जा हो ऐसी सूरत में तनकी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 अपने पक्ष में सिद्व करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. <u>**तनकी संख्या 05 :–**</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 पर होने से प्रतिवादीगण ने इस संबंध में अपने जवाब दावा में तथ्य अवश्य उजागर किए गए है किन्तु वादीयागण द्वारा हस्तगत वाद में उनके नाम खातेदारी दर्ज न होने की जानकारी दिनांक 10.08.2009 के तथ्य उजागर किए है इससे पूर्व वादीयागण को इस संबंध में जानकारी होने बाबत् प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज हस्तगत वाद में पेश नहीं किया जिससे यह मान जावें कि वादीयागण के नाम उक्त आराजी जिसकी जानकारी वादीया को दिनांक 10.08.2009 से पूर्ण जानकारी हो। इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

6. <u>**तनकी संख्या 06 :–**</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,3 पर है किन्तु तनकी संख्या 06 का निर्णय तनकी संख्या 4 व 5 में दिया जा चुका है ऐसी सूरत में तनकी संख्या 06 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

7. <u>**तनकी संख्या 07 :–**</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में यह तथ्य अवश्य उजागर किए कि जोधा की फौतेदगी के पश्चात हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही होने के पश्चात वादीयागण ने किसी प्रकार की अपील या कार्यवाही नहीं किया। ऐसी सूरत में उक्त वाद सुनने का श्रीमान को क्षैत्राधिकार नहीं है परन्तु वादीयागण द्वारा वादग्रस्त आराजी वादीयागण के नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर वादीयागण द्वारा अपने हक के लिए हस्तगत वाद पेश किया जा चुका है। ऐसी सूरत में उक्त वाद सुनने का इस न्यायालय को पूर्णतया क्षैत्राधिकार है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 उक्त तनकी अपने पक्ष में सिद्व करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

8. <u>**तनकी संख्या 08 :–**</u> उक्त तनकी का निर्णय तनकी संख्या 4, 5, 1 में निर्णय दिया जा चुका है तथा तनकी संख्या 1 वादीया के पक्ष में तथा तनकी संख्या 3 , 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णय होने से तनकी संख्या 08 प्रतिवादीगण संख्या 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested

9. <u>**तनकी संख्या 09 :–**</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या [illegible] है इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में गैना के पक्ष में हुए हकत[illegible] या ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह माना जावें की वादग्र[illegible] आराजी जोधा के अन्य उतराधिकारीगणों ने प्रतिवादीगण के पक्ष में आज तक हो ऐसी सूरत में तनकी संख्या 09 प्रतिवादी संख्या 03 अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 09 प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से वादीयागण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

मौजा विरोल बड़ी के खेत खसरा संख्या 336 रकबा 2.95 हैक्टेयर भूमि में 2/8 हिस्सा की खातेदारी वादीयागण के नाम घोषित की जाती है साथ ही वादीयागण के 2/8 हिस्से में प्रतिवादीगण उनके कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलदांजी करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करें।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक सांचौर, जिला जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **01.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:38:34 IST
Reason: SelfAttested